भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2452

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत उद्देश्य एवं लक्ष्य

2452. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और इसके कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति को ब्यौरा क्या है;

(ख) ई–कॉमर्स निर्यात, हरित प्रौद्योगिकी और निर्यात केन्द्रों के रुप में जिलों जैसे उभरते क्षेत्रों पर एफटीपी 2023 के फोकस का क्या प्रभाव होगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त नीति को उभरते वैश्विक व्यापार की गतिशीलता के साथ संरेखित करने के लिए एफटीपी 2023 की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु कोई निगरानी और मूल्यांकन तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, विनिर्माण और मूल्य वर्धन को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है, जो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में योगदान देगी। व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, बाजार अभिगम का विस्तार करके और घरेलू उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करके, यह नीति आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और मेक इन इंडिया पहल में सहायता करती है।

निर्यात ने वर्ष 2023–24 में 778 बिलियन डॉलर तक वृद्धि करके आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार 1990 में 15.5% से बढ़कर 2023–24 में 45.8% हो गया है। व्यापार का विस्तार वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जबकि उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। हाल ही में विनिर्माण को सहायता देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यात अवसंचरना में सुधार के लिए कई नीतिगत उपायों और डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई हैः

डिजिटल व्यापार और वैश्विक बाजार अभिगम का विस्तारः

(i) ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफॉर्म एक वन–स्टॉप व्यापार संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय मिशनों, वाणिज्य विभाग, निर्यात संवर्धन परिषदों और वैश्विक खरीदारों को जोड़ता है, प्रशुल्क अंतर्दृष्टि, व्यापार समझौते, बाज़ार आसूचना और निर्यात प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ii) एफटीपी 2023 का अध्याय 9 डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमा–पार व्यापार को बढ़ावा देता है, ई–कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) की सुविधा प्रदान करता है जो लॉजिस्टिक्स, प्रमाणन और पूर्ति सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे छोटे व्यवसायों और कारीगरों को वैश्विक व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाया जाता है।

विनिर्माण में मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करना:

(i) हीरा अग्रदाय प्राधिकार–पत्र (डीआइए) स्कीम (01.04.2025 से लागू) से तराशे गए और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क–मुक्त आयात को सहायता मिलती है, जिससे वैश्विक रत्न और आभूषण उद्योग में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

(ii) आरओएससीटीएल और आरओडीटीइपी स्कीम श्रम–गहन और उच्च–मूल्य वाले क्षेत्रों में लागत प्रभावी विनिर्माण की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे 10,642 प्रशुल्क लाइनों पर शुल्क छूट सुनिश्चित होती है और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।

व्यापार सुविधा और निर्यात अवसंरचना को बढ़ाना:

(i) निर्यात विप्रेषित राशि समाधान (ई–बीआरसी प्रक्रिया) के लिए स्व–प्रमाणन ने निर्यात दस्तावेजीकरण को कागज रहित बना दिया है, जिससे लागत कम हो गई है और दक्षता में सुधार हुआ है।

(ii) वीडियो कॉन्फ्रेंस–आधारित वर्चुअल इंटरफेस (जनसुनवाइ) बिना पहचान के शिकायत निवारण प्रदान करता है, जिससे निर्यातकों के लिए व्यापार संबंधी चिन्ताओं को दूर करना आसान हो गया है।

(iii) बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) और निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआइईएस) व्यापार–संबंधी अवसंरचना में सुधार करती है, जिससे निर्यात प्रक्रिया सुचारू होती है और लाजिस्टिक्स संबंधी बाधाएं कम होती हैं।

इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक वृद्धि तथा औद्योगिक विस्तार को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करना है।

क्षमता निर्माण और ई–कॉमर्स विस्तार के क्षेत्र में, डीजीएफटी ने नए निर्यातकों को जोड़ने के लिए एमेज़ोन इंडिया, शिपरॉकेट और डीएचएल जैसे अग्रणी प्लेटफॉर्म्स के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निर्यात की सफलता हेतु आवश्यक कौशल से एमएसएमई को लैस करने के लिए पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 9 में ई–कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएल) शुरू करके डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सीमा–पार व्यापार को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है। इन केन्द्रों का उद्देश्य भंडारण, पैकेजिंग, प्रमाणन, परीक्षण और त्वरित लॉजिस्टिक्स सहित एकीकृत सेवाओं की पेशकश करके विनियामक और लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। आज तक, ई–कॉमर्स निर्यात हब योजना के तहत प्रायोगिक कार्यान्वयन चरण के लिए पाँच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात के लिए, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम में निम्नलिखित हरित प्रौद्योगिकी निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात को

सुविधाजनक बनाने के लिए 100% निर्यात दायित्व की बजाय 75% का कम विशिष्ट निर्यात दायित्व प्रदान की गई हैः (i) सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उसके भाग/उपकरण, (ii) पवन ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उसके भाग/उपकरण, (iii) विभिन्न प्रकार की एलईडी लाइटें, (iv) वाष्प अवशोषण चिलर, (v) अपशिष्ट हीट बॉयलर, (vi) अपशिष्ट हीट रिकवरी इकाइयां, (vii) अनफायर्ड हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर, (viii) जल उपचार संयंत्र, (xi) सभी प्रकार के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) [हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी) और प्लग–इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी) के अलावा,, (x) वर्टिकल फार्मिंग उपकरण, (xi) अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण, (xii) रेनवाटर हारवेस्टिंग प्रणाली और रेनवाटर फिल्टर और (xiii) ग्रीन हायड्रोजन

ई–कॉमर्स निर्यात के क्षेत्र में, प्रमुख ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ डीजीएफटी के सहयोग ने छोटे व्यवसायों को नए निर्यात अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाया है। प्रशिक्षण सत्रों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने एमएसएमई को वैश्विक डिजिटल व्यापार चैनलों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान किए हैं।

निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल ने जिला–स्तरीय निर्यात को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एक्जिम बैंक के सहयोग से ग्रासरूट इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट (ग्रिड) कार्यक्रम के तहत, 59 मध्यम–निर्यात जिलों को क्षमता निर्माण, निर्यात विविधीकरण और क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) एफटीपी 2023 की प्रभावशीलता का आकलन करने और वैश्विक व्यापार गतिशीलता के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया गया है।

समय–समय पर, वाणिज्य विभाग के साथ–साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग निकायों और संघों और वित्तीय संस्थानों के साथ एफटीपी पर विचार और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारक परामर्श और बैठकें आयोजित करता है।

इसके अलावा, डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय नए और संभावित निर्यातकों के साथ विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के मूल्यांकन पर विचार प्राप्त करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करते हैं और साथ ही 'उद्योग भागीदारों', 'ज्ञान भागीदारों' और अन्य हितधारकों के साथ 'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल जैसे कार्यक्रमों पर आउटरीच करते हैं ताकि गतिशील जिला–उत्पाद–बाजार प्रासंगिक ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। निर्यात हब के रूप में जिले स्कीम के लिए, चिन्हित किए गए जिलों से निर्यात मात्रा वृद्धि को ट्रैक करने के लिए निष्पादन मेट्रिक्स और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किए गए हैं। आवधिक समीक्षा और डेटा–संचालित विश्लेषण आउटरीच घटनाओं और निर्यातक ऑनबोर्डिंग कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करते हैं, जिससे निरंतर सुधार और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है।

एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए, व्यापार से संबंधित मुद्दों और शिकायतों की जांच करने के लिए एक समर्पित अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसका नीतिगत प्रभाव पड़ता है, ताकि सरकार के दृष्टिकोण की भूमिका के साथ तेजी से नीतिगत निर्णय लिया जा सके। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी नीति के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों, लॉजिस्टिक्स भागीदारों, ई–कॉमर्स हितधारकों और व्यापार संवर्धन निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है।
